पत्रांक-......486(पु०)......आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,
अररिया,
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा, पूर्णियां, सुपौल एवं सहरसा।

पटना-15, दिनांक- 20/10/08

विषय: आपदा रिस्पांस सामग्री के संधारण के संबंध में।

महाशय,

राहत शिविरों में रह रहे परिवारों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हो रही है एवं तद्नुसार कुछ राहत शिविरों को बंद किया जा रहा है । इन शिविरों में इस्तेमाल हो रहे टेन्ट्स तथा अन्य सामग्रियों का सम्यक रूप से भंडारण तथा संधारण आवश्यक है ताकि अगली विपदा में इनका उपयोग हो सके। इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि G.I. Sheets से बने शेड्स में से एक शेड का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त शेड बनवा लिया जाय। यह भंडार आपदा प्रबंधन का स्थायी भंडार के रूप में काम करेगा। अत: -

1. स्टोर का एक अलग स्टॉक रजिस्टर होगा।
2. स्टोर के प्रभार में एक नामित कर्मचारी रहेंगे। स्टोर का वरीय प्रभार उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के पास होगा ।
3. स्टोर का सत्यापण प्रत्येक छ: माह पर अपर समाहर्त्ता प्रभारी, आपदा प्रबंधन करेंगे।
4. स्टोर के स्टॉक की सफाई, गैमेक्सिन पाउडर आदि का छिड़काव अथवा संधारण के लिए अन्य कार्रवाई प्रत्येक तीन माह पर किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

C:\Documents and Settings\admin\Desktop\R. K. Singh\Letter to Spl DM. DM Ara. Sup. Mad... 19.10.08.doc